"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2016— वैशाख 6, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-क	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300"

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक-1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-क	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100%	-	-"

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक-1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-क	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिये. **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/ गणित/ अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के साथ आपरेशन रिसर्च/ कम्प्यूटर साइंस (सूचना और प्रौद्योगिकी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा. **अथवा** कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि एवं 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिये. **अथवा** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में 60% अंकों के साथ बी. एससी. अथवा बी. सी. ए. होना चाहिये."	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 26th April 2016

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7 (Part-2). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-1, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A	Assistant Computer Programmer	01	Class-III	9300-34800	4300"

2. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A	Assistant Computer Programmer	01	100%	-	-"

3. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-III, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A	Assistant Computer Programmer	18 years	30 years (35 years for domicile residents of Chhattisgarh state)	Should have first division with 60% marks in Post Graduate degree in Computer Science from any recognized University. **Or** Master Degree in Physics/ Mathematics/ Economy/ Statistics, from any recognized University with post graduation diploma in Operation Research/ Computer Science (Information and Technology) **Or** Should have Graduation Degree in Computer Science and 60% marks in Post Graduation Diploma.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Or	
				Should have 60% marks in B. Sc. or B. C. A. in Computer Science From recognized University."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.